न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर जिला जयपुर

ीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
सं0 67/16
दिनांक : 16.01.2018

. कमला पुत्री रामधन पत्नि भंवरलाल जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान तन जोबनेर हाल घोडेला की ढाणी रेनवाल रोड़ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी तन जोबनेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामधन जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान तन जोबनेर जिला जयपुर
2. प्रेमचन्द पुत्र रामधन जाति कुमावत नि0 कुमावत होण्डा केयर, कल्याण कुंज महाराष्ट्र बैंक वाली गली कांटा चौराहा झोटवाड़ा जयपुर
3. नाथीदेवी पुत्री रामधन पत्नि बाबूलाल जाति कुमावत नि0 प्लाट नं0 38 कन्डेरा टेन्ट हाउस वाली रोड़, प्रतापनगर कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा जयपुर
4. लूंगादेवी पत्नि रामधन जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान तन जोबनेर जिला जयपुर
5. तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो स्व0 ज्ञाना पुत्र स्व0 हीरा के वंशज है। आराजी खं0नं0 603/1 रकबा 26 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम ढाणी नागान तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है व खं0नं0 1687 वाकै ग्राम माच्छरखानी तह0 फुलेरा में स्थित है। उक्त आराजी ज्ञान के नाम से थी पर्चा सेटलमेन्ट के समय से ही उक्त आराजी पर ज्ञाना का कब्जा काश्त था इसलिए पर्चा में उसका नाम आया था ज्ञाना के फौत होने के बाद विरासत का नामान्तकरण स्व0 रामधन पुत्र ज्ञाना के नाम उसके हिस्सें अनुसार दर्ज हुआ था अर्थात् उक्त आराजी स्व0 रामधन को विरासत में प्राप्त हुई थी जो उसकी स्वअर्जित आराजी न होकर पुश्तैनी आराजी थी। उक्त आराजी का मूल खं0नं0 603 था पूर्व के खं0नं0 3582, 3584, 3585, 3586, 3589, 3590, 3593, 3594, 3595 से बना है। यह सभी खं0नं0 पर्चा सैटलमेन्ट के समय ज्ञाना के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बरान के नये खं0नं0 603 बना है जो वर्तमान में 603/1. जमाबन्दी में अंकित है। पर्चा सेटलमेन्ट के समय खं0नं0 3309/3313 ज्ञाना के नाम से राजस्व रिकोर्ड में अंकित था जिसके वर्तमान खं0नं0 1687 है जिससे साफ जाहिर है कि उपरोक्त खं0नं0 की आराजी रामधन को विरासत से प्राप्त हुई है ज्ञाना के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण रामधन के नाम हिस्सेनुसार अंकित हुआ है। रामधन काफी बीमार रहता था ओर उसकी वृद्वावस्था हो गयी थी जिसके कारण उसने अपनी उपरोक्त आराजीयात जो विरासत में मिली थी वो अपने वारिसान को संयुक्त रूप से काश्त करने के लिए संम्भला दी थी। रामधन जब 90 वर्ष का हुआ ओर काफी वृद्व हो गया था तब उसकी सोचने समझने की स्थिति नहीं थी ओर ना ही रामधन पढ़ा लिखा था तथा उसको कम सुनवायी देता था

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

जिसका प्रतिवादी सं0 2 ने नाजायज फायदा उठाते हुये उपरोक्त पुश्तैनी आराजीयात जो रामधन को विरासत में मिली थी उपरोक्त भूमि का 1/2 हिस्से दान पत्र स्व0 रामधन को धोखा देते हुये एवं जाल साजी से दिनांक 17.02.04 को प्रतिवादी सं0 2 ने अपने हक में करवा लिया ओर राजस्व रिकोर्ड में भी अपना 1/2 हिस्सा उपरोक्त आराजी में दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी वादीया को नहीं थी। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 2 ने चुपचाप रामधन की वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुये जालसाजी करके दान पत्र दिनांक 17.02.04 को करवाया ओर वादीया व प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 के साथ विश्वासघात किया परन्तु वादग्रस्त भूमि में मृतक रामधन के जीवनकाल में ही वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 अपने अपने हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज काश्त थे ओर प्रतिवादी सं0 2 ने वादीया का हक व हिस्सा भी 1/5 उक्त भूमि में स्वीकार करता आया था। खं0नं0 603/1 रकबा 26 बीघा 18 विस्वा जो ढाणी नागान में है रामधन का 7/15 हिस्सा था जिसके 1/5 हिस्सें पर ही प्रतिवादी सं0 2 प्रेमचन्द का हक व हिस्सा बनता था परन्तु प्रेमचन्द ने 1/2 हिस्सें का दान पत्र गलत रूप से रामधन के साथ जालसाजी करके अपने नाम करवा लिया था इसी अनुसार खं0नं0 1687 जो राजस्व ग्राम माच्छरखानी में स्थित है इसमें भी रामधन का 1/2 हिस्सा दर्ज था उसमें से 1/2 हिस्सें का दानपत्र प्रतिवादी सं0 2 ने अपने नाम करवा लिया था जो हिस्सें से अधिक करवाया है ओर अपनी माता व भाई बहिनों के साथ अन्याय किया है। रामधन अन्त समय में अपने बड़े पुत्र प्रतिवादी सं0 1 राधेश्याम के पास ही रहा था ओर प्रतिवादी सं0 1 के निवास स्थान पर ही मृतक रामधन की मृत्यु हुई। प्रतिवादी सं0 1 ने ही अपने पिता रामधन की सेवाबन्दगी की थी तथा मृत्यु के उपरान्त सभी क्रियाकर्म भी प्रतिवादी सं0 1 ने ही किये थे औसर मौसर, पिण्डदान, अस्थि विसर्जन हरिद्वार जाना अस्थी कलश के सभी संस्कार हिन्दू रिति रिवाजनुसार एंव सामजिक प्रथा के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 ने ही सम्पन्न किये थे सम्पूर्ण खर्चा भी प्रतिवादी सं0 1 ने ही वहन किया था। उपरोक्त आराजीयात जो रामधन को विरासत में मिली थी। जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का हिस्सा है जिसमें रामधन की आराजी में वादीया का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है जिस पर इसी प्रकार वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मृतक रामधन की आराजीयात जो वाकै ग्राम ढाणी नागान व ग्राम माच्छरखानी में स्थित है उपरोक्त आराजीयात में से 1/2 हिस्सें का मृतक रामधन की वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुये जालसाजी करके दानपत्र के जरिये प्रतिवादी सं0 2 ने अपने नाम करवा लिया था उसकी जानकारी जब वादीया को हुई तो प्रतिवादी सं0 2 को वादीया ने औलमा दिया जिस पर प्रतिवादी सं0 2 ने कहा कि मुझसे गलती हो गयी है तुम्हारा उपरोक्त आराजीयात में सभी का कब्जा काश्त तो है ही मै उक्त उपरोक्त आराजीयात तुम्हारे सभी के नाम करवा दूंगा जिससे वादीया प्रतिवादी सं0 2 के विश्वास में रही परन्तु दिनांक 01.12.13 को प्रतिवादी सं0 2 कुछ अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लाकर भूमि बेचान करने का सौदा करने लगा तो वादीया ने उसको ऐसा करने से मना किया ओर वादीया के उपरोक्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 2 ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया ओर कहा कि उपरोक्त भूमि से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है ओर यह जमीन मै बेचूंगा इसलिए वादीया को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से वकील श्री रूपनारायण कुमावत व प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से वकील श्री योगेश शुक्ला व प्रतिवादी सं0 3 व 4 की तरफ से

उप खण्ड अधिकारी
सौंभर लेक

Scanned by CamScanner

वकील श्री अशोक कुमार कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमंल मे लायी जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश न करने पर जवाब बन्द किया गया। दिनांक 09.12.17 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी पक्षकारान मय वकील उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.01.18 को पक्षकारान वकीलों ने मुताबिक राजीनामा वाद अन्तिम डिक्री कियें जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अवलोकन करने के पश्चात् पाया कि वाकै ग्राम जोबनेर भूमि एकीकरण नकल खतौनी सम्वत् 2019 अनुसार खं0नं0 630 रकबा 32 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 1687 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा भूमि रामधन, नारायण, भूरा पि0 ज्ञाना जाति कुम्हार सा0देह0 की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड थी जो सम्वत् 2069–72 जमाबन्दी नवीन ग्राम सृजित होने पर वाकै ग्राम ढाणी नागान के खं0नं0 603/1 रकबा 26 बीघा 18 विस्वा भूमि में रामधन पुत्र ज्ञाना हि0 7/15 एवं ग्राम माच्छरखानी के खं0नं0 1687 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा भूमि रामधन पुत्र ज्ञाना हि0 1/4 दर्ज रिकोर्ड है वर्णित भूमि भू प्रबन्ध विभाग खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–29 अनुसार साबिक खं0नं0 3582, 3593, 3593, 3594, 3595, 3309/2, 3313, 3584, 3586, 3589, 3590 वाकै ग्राम जोबनेर में स्थित होकर ज्ञाना वल्द हीरा सा0देह0 कुम्हार की कदीमी काश्त में दर्ज रही है तद्नुसार भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 में रामधन पुत्र ज्ञाना के नाम से उपरोक्त भूमि विरासतन दर्ज रिकोर्ड होना रिकोर्ड से स्पष्ट होता है मुताबिक शजरा रामधन पुत्र ज्ञान जाति कुम्हार 2 पुत्र यथा राधेश्याम, प्रेमचन्द व 2 पुत्री यथा कमला व नाथीदेवी तथा धर्मपत्नि लूंगादेवी है जिनका भी उक्त पुस्तैनी व पैतृक भूमि में समान अधिकार प्रादभूत है परन्तु रामधन पुत्र ज्ञाना जाति कुम्हार ने दिनांक 17.09.04 को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दस्तावेज संवत् 2065 दिनांक 17.09.04 से वर्णित भूमि वाकै ग्राम माच्छरखानी के खं0नं0 1687 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा के 1/2 हिस्सें का 1/2 हिस्सा अपने पुत्र प्रेमचन्द्र पुत्र रामधन के हक में कर दिया गया जिसका राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद होकर प्रेमचन्द्र पुत्र रामधन हि0 1/4 रामधन पुत्र ज्ञाना हि0 1/4 कौम कुम्हार ढाणी नागान वाकै ग्राम माच्छरखानी की जमाबन्दी संवत् 2068 के खाता सं0 142 अनुसार हो चुका है पक्षकारान द्वारा दौरान वाद राजीनामा इस आशय का हुआ कि हम पक्षकारान रामधन पुत्र ज्ञाना के वारिस है रामधन फौत हो चुका है ग्राम ढाणी नागान में खं0नं0 603/1 रकबा 26 बीघा 18 विस्वा में 7/30 हिस्सा प्रेमचन्द्र के नाम से रहेगा तथा रामधन का वर्तमान में 7/30 हिस्सा दर्ज है वह राधेश्याम पुत्र रामधन के नाम से दर्ज होगा इसमें सभी पक्षकार सहमत है।

वाकै ग्राम माच्छरखानी के खं0नं0 1687 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा में प्रेमचन्द के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है जो यथावत् रहेगा तथा जो 1/4 हिस्सा शेष पक्षकार कमलादेवी, नाथीदेवी, लूंगादेवी व राधेश्याम व पेमाराम उर्फ प्रेमचन्द के नाम है व राधेश्याम के नाम करवायेगे व नाथीदेवी, कमलादेवी, लूंगादेवी, पेमाराम उर्फ प्रेमचन्द्र उक्त 1/4 हिस्सा हजफ करवाकर राधेश्याम के पक्ष मे हकत्याग करवायेगे उक्त आराजी पर जो रामधन की विरासत की है उसमें पेमाराम उर्फ प्रेमचन्द व राधेश्याम का बराबर बराबर कब्जा काश्त में हिस्सा रहेगा उपरोक्त हिस्सेनुसार राधेश्याम व पेमाराम उर्फ प्रेमचन्द उपयोग व उपभोग करेगे व हिस्सेनुसार लाभ उठा सकेगे व एक दूसरे पक्ष के हिस्सें में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करेगे तकासमा व विधिक कार्यवाही में दोनो भाई सहायता करेगे व इसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है ओर उक्त राजीनामा से सभी पक्षकारान पूर्ण रूप से पाबन्द व बाध्य रहेगे किसी प्रकार की कोई आपति उज्र नहीं करेगे राजीनामा कमला बनाम राधेश्याम प्रकरण सं0 67/16 में यह राजीनामा/पारिवारिक समझौता पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण किया

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

गा अतः पक्षकारान का राजीनामा उपरोक्त वाद में प्रस्तुत है जो लोक अदालत की ना से प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावें। उपरोक्त राजीनामा की रोशनी में रिकोर्ड अवलोकन किया गया तो हम पाते है कि रामधन पुत्र ज्ञाना कौम कुम्हार द्वारा दान सं0 2065 दिनांक 17.09.04 द्वारा केवल मात्र ग्राम माच्छरखानी के खं0नं0 1687 बा 27 बीघा 8 बिस्वा में अपने हिस्सें 1/2 का 1/2 हिस्सा प्रेमचन्द पुत्र रामधन के में किया गया जो दानपत्र अनुसार प्रेमचन्द पुत्र रामधन के नाम हि0 1/4 दर्ज कोर्ड है जो प्रभाव में है शेष हिस्सा 1/4 में वर्णित पक्षकारान कमलादेवी, नाथीदेवी, ादेवी, राधेश्याम व प्रेमचन्द उर्फ पेमाराम वारिसान मृतक रामधन कुम्हार उक्त सम्पूर्ण स्सें को जरिये हकत्याग पत्र राधेश्याम पुत्र रामधन कौम कुम्हार के नाम करवायेगे सके लिए पक्षकारान स्वंतत्र होगे व पाबन्द रहेगें।

इसके अतिरिक्त वाकै ग्राम ढाणी नागान स्थित खं0नं0 630/1 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा जो मृतक रामधन पुत्र ज्ञाना कौम कुम्हार 7/15 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कोर्ड रहा है उक्त वर्णित भूमि का मृतक रामधन पुत्र ज्ञान कौम कुम्हार द्वारा किसी कार का दानपत्र किया जाना नहीं पाया जाता है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में थाकथित दानपत्र संख्या 2065 दिनांक 17.09.04 के आधार पर जरिये नामान्तकरण सं0 08 में अमल दरामद किया गया है दान पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया तो ाया कि रामधन पुत्र ज्ञाना द्वारा केवल मात्र वाकै ग्राम माच्छरखानी के खं0नं0 1687 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा के हिस्सा 1/2 के हिस्सा 1/2 का ही प्रेमचन्द पुत्र रामधन के हक में दानपत्र किया है खं0नं0 603/1 वाकै ग्राम ढाणीनागान का दान किया जाना वर्णित नहीं है अतः ग्राम ढाणी नागान के खं0नं0 603/1 पर जरिये नामान्तकरण सं0 308 प्रेमचन्द पुत्र रामधन के हक में अमल दरामद को सही नहीं माना जा सकता है जिसे नियमानूकूल नहीं पाते है लिहाजा वर्तमान राजस्व रिकार्ड वाकै ग्राम ढाणी नागान के खसरा नं0 603/1 पर जरिये नामान्तकरण संख्या 308 दिनांक 06.12.04 से किये गये बिना किसी आधार के परिवर्तन को न्यायसंगत एवं युसंगत नहीं पाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 289 के तहत् प्रदत शक्तियों के अनुसरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तकरण के पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं विधि की मंशा के अनुरूप सीमा तक पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 09.12.17 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता हूं।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण, पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 09.12.17 की रोशनी में डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खसरा नं0 603/1 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ढाणी नागान तह0 फुलेरा के हिस्सा 7/15 जो मृतक रामधन पुत्र ज्ञाना कुम्हार की खातेदारी भूमि थी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 को बहिस्सा बराबर विरासतन हक हकूक खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार वादी/प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें तथा तहसीलदार फुलेरा ढाणी नागान के नामान्तकरण संख्या 308 दिनांक 06.12.2004 जो बिना खसरा नंबर 603/1 ढाणी नागान के दान किए ही बिना आधार खोला एवं स्वीकृत किया गया, को करने वाले राजस्व अधिकारी कर्मचारीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाये इसके साथ ही वाकै ग्राम माच्छरखानी के खसरा नंबर 1687 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में मृतक रामधन पुत्र ज्ञाना कुम्हार के द्वारा प्रेमचन्द पुत्र रामधन के हक में किये गये दान पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

पश्चात् अवशेष हिस्सा 1/4 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 4 को बहिस्सा बराबर वारीसान हक हकूक खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार वादी/प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें जो मुताबिक राजीनामा हक त्याग पत्र कराये जाने के लिए स्वतंत्र होंगें। निर्णय की एक प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर (भू0अ0) जयपुर को नामान्तकरण सं0 308 ढाणी नागान को खोलने वाले पटवारी–भू0अ0नि0, तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक के विरूद्व जांच कर अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

प्रज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

इजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

कमला बनाम राधेश्याम वगै0

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 67/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील श्री हनुमान जाखड़ व हाजरी श्री रूपनारायण कुमावत मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण, पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 09.12.17 की रोशनी में डिक्री किया जाकर घोषणा इस आश्य की फरमायी जाती है कि खसरा नं0 603/1 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ढाणी नागान तह0 फुलेरा के हिस्सा 7/15 जो मृतक रामधन पुत्र ज्ञाना कुम्हार की खातेदारी भूमि थी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 को बहिस्सा बराबर विरासतन हक हकूक खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार वादी/प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें तथा तहसीलदार फुलेरा ढाणी नागान के नामान्तकरण संख्या 308 दिनांक 06.12.2004 जो बिना खसरा नंबर 603/1 ढाणी नागान के दान किए ही बिना आधार खोला एवं स्वीकृत किया गया, को करने वाले राजस्व अधिकारी कर्मचारीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाये इसके साथ ही वाके ग्राम माच्छरखानी के खसरा नंबर 1687 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में मृतक रामधन पुत्र ज्ञाना कुम्हार के द्वारा प्रेमचन्द पुत्र रामधन के हक में किये गये दान पत्र के पश्चात् अवशेष हिस्सा 1/4 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 4 को बहिस्सा बराबर वारीसान हक हकूक खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार वादी/प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें जो मुताबिक राजीनामा हक त्याग पत्र कराये जाने के लिए स्वतंत्र होंगें। निर्णय की एक प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर (भू0अ0) जयपुर को नामान्तकरण सं0 308 ढाणी नागान को खोलने वाले पटवारी–भू0अ0नि0, तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक के विरूद्ध जांच कर अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु भिजवाई जावें।.....निज .... मुबलिग..... बाबत्..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगीं तक..... .....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 01 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

मुहर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner